छत्तीसगढ़ शासन

डॉ रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

का
उद्बोधन

राष्ट्रीय विकास परिषद् की
51वीं बैठक

नई दिल्ली
27–28 जून, 2005

माननीय प्रधानमंत्री जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, परिषद के अन्य गणमान्य सदस्यों एवं मित्रों,

मैं यहां उपस्थित सभी महानुभावों को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बैठक में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

2. आज की बैठक का मुख्य बिन्दु दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की मध्यावधि समीक्षा है। इस समीक्षा में एक मिश्रित तस्वीर उभरी है। प्रथम तीन वर्षो में वास्तविक वृद्धि औसतन 6.5 प्रतिशत रही, जो कि निर्धारित लक्ष्य 8.1 प्रतिशत की तुलना में कम है। उपलब्ध कराए गए कुल रोजगार के अवसर, श्रम शक्ति वृद्धि दर से कम रहे हैं। वास्तव में संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सिमटे हैं, जहां रोजगार चाहने वालों को अधिक रोजगार मिलने की अपेक्षाएं थीं। विकास की गति में पिछड़े क्षेत्र अधिक पिछड़ गए, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में चिंतनीय वृद्धि हुई।

3. नये राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अधोसंरचना विकसित हुई तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सशक्तीकरण की गति तेज की गई। विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं :–

कृषि :

4. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण घटक है। छत्तीसगढ़ की 82 प्रतिशत आबादी कृषि एवं अनुषांगिक क्षेत्रों से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। ज्यादातर कृषि मानसूनी बारिश पर निर्भर है। धान पर आधारित एकल फसलीय क्षेत्रों में किसानों को वर्ष में मात्र 100 दिन का ही रोजगार मिल पाता है। रोजी–रोटी के लिए वृहद पैमाने पर लोगों के राज्य से बाहर पलायन करने पर सामाजिक–आर्थिक विकास पर विपरीत असर पड़ता है।

5. वर्तमान में धान फसल के क्षेत्र को कम कर उसे दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों में बदलने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राज्य में वर्तमान में धान उत्पादन तो आवश्यकता से बहुत अधिक है, लेकिन तिलहन एवं दलहन में पीछे है,

जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। फसल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए तद्नुरूप आश्वासित एवं नियंत्रित सिंचाई का प्रबंध भी जरूरी है। राज्य शासन ने स्वयं के संसाधनों से ही लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए जल प्रबंधन, नलकूपों के लिए सबसिडी तथा शाकम्बरी योजना जैसे अनेक उपाय किए हैं। तिलहन एवं दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली है, जिसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, मक्का एवं पॉमआइल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए एग्रो–क्लाइमेटिक जोन्स के अनुरूप क्षेत्रों की पहचान की गई है। सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोयाबीन का रकबा तीन गुने से अधिक बढ़ाया गया है। दलहन एवं तिलहन का रकबा बढ़कर लगभग 12 लाख हेक्टर हो गया है, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़कर 20 लाख हेक्टर किया जा सकता है।

6. फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम में उद्यानिकी को थ्रस्ट एरिया में रखा गया है। नवगठित छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विकास सोसायटी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए अनुमानित लागत 117 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनाई गई हैं। उद्यानिकी के रकबे में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक–प्रायवेट पार्टीसिपेशन) से अधोसंरचना एवं विपणन संबंधी क्षेत्रों में खासी बढ़ोत्तरी हो रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ को देश के 'फलों के टोकरे' के रूप में विकसित किया जाए।

7. कृषि के विस्तार हेतु कृषि अनुसंधानों का लाभ लिया जाना भी जरूरी है। वर्तमान में प्रशिक्षण तथा भ्रमण प्रणाली के तहत एक ग्रामीण विस्तार अधिकारी को एक हजार परिवारों की देखरेख का जिम्मा दिया गया है। कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ए.टी. एम.ए.) की अवधारणा के तहत रणनीतिक अनुसंधान एवं विस्तार योजना (एस.आर.पी.) की समीक्षा करके अनुमोदन करने का प्रस्ताव है। ए.टी.एम.ए. से जिलों में कृषक हित समूहों तथा कृषक संगठनों के संयोजन एवं विकास में तेजी आएगी। ए.टी.एम.ए. से किसानों को विभिन्न आदानों (इनपुट्स), तकनीकी सहयोग, कृषि प्रसंस्करण तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्रों, संस्थाओं तथा संगठनों की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

8. कृषि आदानों के विस्तार/ऋण तथा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कृषि स्नातकों तथा निजी क्षेत्रों का सहयोग लेने की योजना बनाई गई है। आदान डीलरों का भी कृषि पृष्ठभूमि से होना सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि व्यापार, कृषि क्लीनिक्स

तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी निजी विस्तार व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए ली जा रही है, इसके साथ ही शासकीय विस्तार एजेन्सियों को भी सशक्त किया जा रहा है। इस तरह कृषि के क्षेत्र में लोक तथा निजी सहभागिता बढ़ाने के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य बन रहा है।

9. कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ऋण एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु और सीमांत कृषकों के बकाया अल्पकालिक ऋणों की माफी हेतु महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रति किसान 2500 रूपए तक के ऋण की माफी दी गई। इससे राज्य के लगभग छह लाख किसानों को अपने पुराने कर्जो से मुक्ति मिली एवं नए ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तदुपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा ऋण राहत उपायों की घोषणा से 15086 किसानों को भी अपने बकाया कर्ज चुकाने तथा नए ऋण का लाभ मिला। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को सहकारी बैंकों से 9 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन के बजट से 3 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जा रही है। हमारा प्रस्ताव है कि राज्य शासन के इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र शासन द्वारा भी इतनी समतुल्य सबसिडी दी जाए।

10. राज्य में ऊर्जा सुरक्षा, हरियाली तथा रोजगार सृजन करने हेतु हमारी सरकार द्वारा दो वृहद बहुउद्देश्यीय योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं :

छत्तीसगढ़ बायोडीजल प्राधिकरण :

11. राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ बायोडीजल प्राधिकरण का गठन किया है, जो वर्ष 2007 तक तीन लाख हेक्टर क्षेत्र में जेट्रोफा (रतनजोत) का वृक्षारोपण सुनिश्चित करेगा। इससे 15 लाख टन जेट्रोफा बीज एवं 5 लाख टन बायोडीजल का वार्षिक उत्पादन संभव हो सकेगा। इस वर्ष जेट्रोफा के 8 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं। जेट्रोफा पौधरोपण के माध्यम से रोजगार सृजित होगा, पड़त भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी तथा भूमि एवं जल संरक्षण के साथ कृषि–वानिकी अपनाकर औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा इससे दस टन प्रति हेक्टर कार्बन को अवशोषित करने एवं कार्बन ट्रेडिंग के लिए पात्रता हासिल करने में मदद मिलेगी। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार अपनी बहुप्रतीक्षित नीति की घोषणा शीघ्र करे, जिसमें बॉयोडीजल को लागत प्रतियोगी बनाने की आर्थिक रियायतें भी शामिल हों।

छत्तीसगढ बांस विकास प्राधिकरण :

12. राज्य की ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में बांस की अहम भूमिका है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां तथा किसानों द्वारा राज्य में पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक संवर्धन के लिए बांस का रोपण किया जा रहा है। प्राधिकरण बांस के मूल्य संवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु प्राथमिक तथा मध्यम स्तर की प्रसंस्करण इकाइयां एवं तदनुरूप आवश्यक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। इससे राज्य में हरियाली होने के साथ, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे डेढ़ लाख परिवारों को गरीबी स्तर से ऊपर लाने में मदद मिलेगी।

सिंचाई :

13. छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता 5.53 मिलियन हेक्टर अनुमानित है, लेकिन वास्तविक उपलब्ध क्षमता केवल 1.72 मिलियन हेक्टर है। हमने 14 वृहद एवं मध्यम, तथा 800 लघु सिंचाई परियोजनाओं की पहचान सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए की है। इसके साथ ही हम पुराने जलाशयों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण जैसे तरीकों से भी सिंचाई क्षमता बढ़ा रहे हैं। लघु, मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अलावा नदियों में चेकडेम तथा एनीकट बनाकर एवं एक लाख कम गहराई वाले (शैलो) नलकूपों के निर्माण से भी सिंचाई क्षमता में वृद्धि की योजना हमने बनाई है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमें 20 हजार करोड़ रूपए निवेश करने की जरूरत होगी।

14. नदियों के उद्गम एवं उनके संग्रहण क्षेत्र विगत वर्षों में काफी उपेक्षित रहे। लेकिन अब एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सार्थक पहल की गई है।

15. हम सिंचाई दर का युक्तियुक्तकरण भी करना चाहते हैं, ताकि परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा सके। यह राज्य की जल नीति का एक भाग है। राज्य में औद्योगिक उपयोग के पानी की दर 1 मई 2002 से एक रूपए प्रति क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 1.50 रूपए प्रति क्यूबिक मीटर कर दी है। औद्योगिक दरों में और भी वृद्धि विचाराधीन है, जिससे संचालन एवं संधारण व्ययों की पूर्ति की जा सके।

स्वास्थ्य :

16. राज्य में लोगों की औसत आयु 54 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) एवं मातृत्व मृत्यु दर (एम.एम.आर.) बहुत ज्यादा है। रक्त अल्पता, मलेरिया तथा कुष्ठ रोग की अधिकता है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) द्वारा 1000 आबादी वाले ग्रामों के लिए एक "आशा" उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर आदिवासी आबादी की बहुलता है और वे बिरले रूप से बसते हैं, वहां यह योजना काम नहीं आएगी। मेरा सुझाव है कि एन.आर.एच.एम. के तहत कार्यकर्ता को एक जोड़ी साड़ी या यूनिफार्म उपलब्ध कराना चाहिए। पंचायत स्तर पर हमारे यहां उपस्वास्थ्य केन्द्र आवश्यक हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए, जिसके प्रीमियम का भुगतान एन.आर.एच.एम. कोष से हो।

17. हम राज्य में 'सबके लिए स्वास्थ्य' उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए हम विद्यमान संसाधनों, मोबाइल दलों, टेलीमेडिसीन सुविधाओं, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक प्रणालियों का हर संभव उपयोग करेंगे।

18. यह सर्वविदित है कि शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता दो प्रमुख 'अस्वस्थता निवारक' तत्व हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का स्तर निर्धारित करते हैं। शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को हर घर में पहुंचाने के लिए हम राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, भारत निर्माण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तालमेल बैठाकर कार्य करेंगे।

खाद्य एवं पोषण :

19. विशेषत: गरीब तबकों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक वर्षों से कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए गए। हम राज्य में समग्र रूप से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी सतर्कता बरत रहे हैं। राज्य के सभी गरीब परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो ग्राम की दर पर ऑयोडाइज्ड नमक उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 'राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना' को सभी 16 जिलों में लागू करने की आवश्यकता है, जो फिलहाल मात्र 10 जिलों में ही संचालित की जा रही है। अंत्योदय अन्न योजना का लाभ फिलहाल गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 15 प्रतिशत परिवारों को मिल पा रहा है। यह समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रदान करने की आवश्यकता है।

शिक्षा :

20. हमारे राज्य में सकल नामांकन दर 103.59 प्रतिशत है तथा हमने शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच 1:42 का अनुपात हासिल कर लिया है। हम 32,000 नए शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, ताकि इस अनुपात में और भी सुधार हो। हम राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम राज्य में आठवीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रहे हैं तथा नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दे रहे हैं।

21. राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार प्रायमरी स्कूल में शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच 1 : 40 का अनुपात एवं प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए। इससे हमारी अधिकांश शालाओं में विषम स्थिति बनी है। हम शिक्षकों को बहुस्तरीय अध्यापन का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। एक कक्षा पीछे एक शिक्षक नहीं होने से अध्यापन की गुणवत्ता से समझौता करने की स्थिति निर्मित होती है। आदर्श रूप से एक शाला में दो शिक्षक होने के मांपदण्ड को संशोधित कर, एक कक्षा के लिए एक शिक्षक कर दिया जाना चाहिए। यह "शिक्षण उपकर" से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने से संभव हो सकता है।

22. अधिकांश शालाओं में सभी बच्चों के लिए आवश्यक सुविधा के अनुरूप पर्याप्त स्थान नहीं है। ऐसी शालाओं में अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने आवश्यक हैं। इसलिए हमने सर्वशिक्षा अभियान में वाचनालय तथा गतिविधि कक्ष बनाना प्रस्तावित किया है।

23. हमने शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापना, तबादला तथा प्रशासनिक नियंत्रण जैसे बहुत से अधिकार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को हस्तांतरित किए हैं। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय समाज तथा पालकों की भागीदारी को बढ़ावा देने से लाभ होगा।

24. निजी क्षेत्र में नई शालाएं खोलने के लिए हमने खुली नीति अपनाई है। नई शाला खोलने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वहीं अन्य नियमों को सरल बनाया गया है। नए स्कूल के प्रवर्तकों को केवल इस आशय का शपथ पत्र देना होता है कि वे शाला की न्यूनतम आवश्यकताओं तथा स्तर की पूर्ति करेंगे।

25. ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पृष्ठभूमि वाली गैर शासकीय संस्थाओं को नई अच्छी शालाएं खोलने के लिए, उन्हें अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि

ग्रामीण क्षेत्रों में शालाएं संचालित करने वाली अच्छी पृष्ठभूमि वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को शासन की ओर से अनुदान दिया जाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शासकीय स्कूलों के समान ही निजी स्कूलों को भी अनुदान सहायता की पात्रता मिलनी चाहिए। यदि केन्द्र शासन की अनुमति मिले तो, हम ग्रामीण क्षेत्रों की खराब स्थिति में संचालित शासकीय शालाओं को अच्छी स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने का प्रयोग कर सकते हैं। इससे अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित होंगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

रोजगार :

26. आबादी के 38 प्रतिशत हिस्से का गरीब होना छत्तीसगढ़ के विकास में एक प्रमुख बाधा है। एकल फसल, कम उत्पादकता, निम्न फसल सघनता, वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत नगण्य रकबा होने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है। हमने विश्व बैंक से आर्थिक सहायता लेकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामवार रोजगार सृजित करने एवं ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए, स्थानीय जरूरतों तथा विशेषताओं के अनुरूप सूक्ष्म योजनाएं बनाकर, उन्हें कियान्वित किया जा रहा है।

प्रशासन :

27. हमारा मानना है कि एक सुरक्षित सिविल सर्वेन्ट को सतत एवं संतोषजनक ढंग से परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए। हम शासकीय सेवकों की एक स्थान पर न्यूनतम तीन वर्ष तक पदस्थापना सुनिश्चित करते है। किसी भी कैडर के 10 प्रतिशत शासकीय कर्मचारियों का ही तबादला किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तबादला नीति बनाने से हमें बार–बार के तबादलों पर अंकुश तथा न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने में मदद मिली है। स्थानांतरण प्रस्तावों का परीक्षण भी कम से कम दो स्तर पर किया जाता है।

अधोसंरचना विकास :

सड़कें एवं सेतु

28. किसी भी राज्य में अच्छी सड़कें विकास को गति देने का मुख्य माध्यम होती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे लैण्ड–लाक्ड प्रदेश में तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। हमारे नए राज्य पर नए सिरे से सड़कें बनाने की जिम्मेदारी आई। राज्य मे आंतरिक संपर्क, अंतर्राज्यीय गतिविधियों तथा तीव्रगामी सड़क कॉरीडोर के लिए 1,115 कि.मी. सड़कों

का निर्माण किया जा रहा है। सड़कों के जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण का सघन कार्य भी किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में हमने 17,325 कि.मी. लंबी सड़कें बनाई, जिसमें से 4,469 कि.मी. पूर्णतः नई सड़कें हैं। इसके अलावा हम 172 पुल, 2,394 पुलिया तथा 121 सेतु बना रहे हैं। आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के साधन बनाने हेतु पक्की सड़कें बनायी जा रही हैं। हम 12 ओव्हरब्रिज तथा बायपास सड़कें राज्य के संसाधनों से ही तथा कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर, बना रहे हैं।

29. राज्य में सड़क अधोसंरचना विकास पर खर्च वर्ष 2001–02 के 84 करोड़ रूपए के मुकाबले वर्ष 2005–06 में 935 करोड़ रूपए होगा। राज्य में 17 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन हेतु हमने ए.डी.बी. से ऋण प्राप्त किया है। हमने सड़कों के निर्माण में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया है तथा पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशिप की अवधारणा को ठोस ढंग से लागू किया है। अनेक बी.ओ.टी. परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा कुछ पर कार्य चालू है। पी.पी.पी. के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए आकर्षक वित्त व्यवस्था एवं रेल्वे, वन तथा पर्यावरण विभाग की त्वरित स्वीकृतियों जैसे मुद्दो पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हमारा प्रस्ताव है कि पी.पी.पी. को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने के अधिकार राज्य स्तर पर हस्तांतरित किए जाने चाहिए। साथ ही विवाद निवारण मशीनरी को भी अधिक सक्षम तथा संतोषजनक बनाने की जरूरत है।

30. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश के अनेक राज्यों को लाभ मिला, परन्तु दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ राज्य पूर्णतः छूट गया। इसी प्रकार उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम में बन रही सड़कों का लाभ भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सकेगा। इस तरह हम इन वृहद राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि "दुर्ग – नागपुर फोर लेन" निर्माण कार्य को एन.एच.डी.पी.–III ए में शामिल करने पर विचार करें, जिसकी डी.पी.आर. तैयार है। रायपुर–वाराणसी के बीच संपर्क बनाने के लिए इस मार्ग के प्रस्ताव को भी मान्य किया जाए। राज्य शासन की रायपुर–बिलासपुर (एन.एच.200) तथा रायपुर – धमतरी (एन.एच. 43) के लिए बी.ओ.टी. परियोजनाओं को भी प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान की जाए।

रेल मार्ग

31. भारतीय रेल के कुल राजस्व में 1/6 हिस्से की भागीदारी के बावजूद, प्रदेश में रेल संपर्क काफी कम उपलब्ध है, जो देश की कुल रेलपथ लंबाई का मात्र 1.66 प्रतिशत

है। खनिज एवं वन संसाधनों से भरपूर बस्तर अंचल की संपदा का लाभ राष्ट्र निर्माण में लेने हेतु दिल्ली–राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण अति आवश्यक है। बस्तर में नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु भी यह कार्य प्राथमिकता से कराने की आवश्यकता है।

वायुमार्ग

32. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए दिल्ली से प्रतिदिन तथा चेन्नई एवं विशाखापट्नम तथा नागपुर से सप्ताह में तीन बार केवल इंडियन एयरलाइंस की उड़ान ही उपलब्ध हैं, जो लोगों की मांग के अनुरूप नहीं है तथा किराया बहुत ज्यादा है। सहारा,जेट तथा अन्य एयरलाइंस की उड़ानों के द्वारा छत्तीसगढ़ को कोलकाता, मुम्बई, भोपाल, बैंगलोर, लखनऊ एवं हैदराबाद से जोड़ने पर लोगों को सुलभ तथा सस्ती हवाई यात्रा मिल सकेगी।

ऊर्जा एवं विद्युत

33. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने 15 नवम्बर 2000 से, पारेषण तथा वितरण प्रणाली की अपर्याप्त उपलब्धता के साथ अपना कार्य शुरू किया। उस समय की स्थिति बिजलीघरों में निर्मित विद्युत के कारगर ढंग से वितरण में बाधक थी। दूसरी बड़ी कठिनाई थी कोरबा पूर्व में स्थित सभी छह बिजली उत्पादन इकाईयों का बहुत पुराना होना, जिसके तत्काल जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की जरूरत थी। राज्य विद्युत मण्डल ने पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 815 करोड़ रूपए एवं बिजली घरों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए 374 करोड़ रूपए का निवेश किया है। अब बिजली, राज्य के सभी हिस्सों में पहुंच रही है तथा कोरबा पूर्व बिजलीघर 85 से 90 प्रतिशत उच्च पी.एल.एफ. के स्तर पर संचालित है। इसके अलावा राज्य विद्युत मण्डल ने कोरबा (पश्चिम) के बिजलीघरों के सुधार हेतु विशेष कदम उठाए, जिससे इस बिजलीघर ने राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पी.एल.एफ. विद्युत उत्पादन के कीर्तिमान स्थापित किए एवं पुरस्कार भी हासिल किए। मैं हर्षपूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि हमने संपूर्ण निवेश आंतरिक संसाधनों से किए एवं हमारा राज्य विद्युत मण्डल देश का इकलौता विद्युत मंडल है, जो फायदे में चल रहा है।

34. राज्य विद्युत नियामक आयोग 1 जुलाई 2004 से कार्यरत है। इस आयोग द्वारा नई विद्युत दरें अधिसूचित कर दी गई हैं। विद्युत के वितरण में सुधार हेतु

त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक विकास कार्य हाथ में लिए गये हैं।

35. विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत राज्य शासन को विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपने हेतु पृथक–पृथक कम्पनियां बनानी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल की अंकेक्षित बैलेंसशीट प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित शासकीय कम्पनियों की ओपनिंग बैलेंसशीट में कठिनाई होगी। इससे नई परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी।

राज्य वित्त एवं संसाधन :

36. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से ही यहां वित्तीय अनुशासन का पालन कड़ाई से किया गया है। एक ओर जहां राज्य के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई, वहीं दूसरी ओर गैर विकास व्यय को यथोचित रूप से कम बनाए रखने में भी सफलता मिली। परिणामतः हम पूंजीगत व्ययों के लिए पर्याप्त राशि जुटाने में एवं राज्य आयोजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रतिबद्ध रह सके। राजस्व घाटे तथा वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखा जा सका एवं हमारा ऋण भार संयत रहा। हमने वृहद आर्थिक सुधार की दिशा में 'पेंशन फण्ड' तथा 'कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड' की स्थापना की तथा 'कांट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम' शुरू कर पाए। राज्य विधानसभा के आगामी अधिवेशन में हम 'फ़िस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी विधेयक' लाने जा रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा केन्द्र शासन द्वारा इस अनुशंसा की मंजूरी के परिप्रेक्ष्य में ऋण पुनर्संरचना तथा राहत योजना का कियान्वयन अतिशीघ्र करें।

37. मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में दोहराना चाहूंगा जो राज्यों की ऋण निरंतरता पर विपरीत असर डाल रहा है। केन्द्र शासन अल्प बचत संग्रहण से प्राप्त राशि, राज्यों को ऋण के रूप में गैर वाजिब उच्च ब्याज दर पर प्रदान करता रहा है। प्रचलित ब्याज दर 9.5 प्रतिशत है, लेकिन इन प्रतिभूतियों पर 8 प्रतिशत ब्याज दर देय है, जबकि राज्य सरकारें खुले बाजार से 7.5 प्रतिशत की न्यून ब्याज दर पर अमानत प्राप्त करती हैं। मैंने यह विषय योजना आयोग स्तर की मध्यावधि समीक्षा बैठक के दौरान भी उठाया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी मांग पर विचार करें एवं हमसे इन ऋणों के लिए देय ब्याज दरों को युक्तियुक्त करें।

औद्योगिकीकरण :

38. खनिज आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ की प्रमुख शक्ति हैं, विशेषतः ताप विद्युत गृह, आयरन एवं स्टील, सीमेन्ट और एल्यूमिनियम उद्योग। वास्तविक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में छत्तीसगढ़ वर्ष 2003–04 में देश का अव्वल राज्य रहा। आई.ई.एम. के द्वारा प्रस्तावित निवेश प्रस्तावों के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2004 के चौथे स्थान के मुकाबले वर्ष 2005 में तीसरे स्थान पर आ गया।

39. विगत कुछ वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में आयरन एवं स्टील उत्पादन की क्षमता 5 मिलियन टन वार्षिक बढ़ी है, जिसके आगामी 3–4 वर्षों में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष होने की संभावना है। फिलहाल आयरन एवं स्टील की इकाइयां कोयला तथा लौह अयस्क उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कठिन दौर से गुजर रही हैं। राज्य में इन दोनों प्रमुख कच्चे माल के एक मात्र उत्पादक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं। यदि अतिशीघ्र इस समस्या के निराकरण के उपाय नहीं किए गए, तो इनमें से कुछ इकाइयों को बंद करना पड़ेगा और इससे बेरोजगारी तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की स्थिति बनेगी।

40. स्थानीय इकाइयों को लौह–अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मार्च 2006 से, जब एन.एम.डी.सी. के विदेशी कम्पनियों से करार समाप्त हो जाएंगे, बैलाडीला की खदानों से लौह अयस्क का निर्यात बंद करना आवश्यक है। निर्यात बंद होने के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाला आयरन ओर देशी क्रेताओं को लागू शर्तों पर ही स्थानीय इकाइयों को उपलब्ध करायी जा सकेगा।

41. जहां तक कोयले का सवाल है, अनेक इकाइयां कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण बंद होने की कगार पर हैं। फिलहाल राज्य की करीब 40 आयरन एवं स्टील इकाइयां के पास न तो कैप्टिव कोयला खानें हैं और न ही कोल लिंकेज की सुविधा है। इन इकाइयों के आवेदन काफी समय से केन्द्र शासन के विचारार्थ लंबित हैं। विद्यमान इकाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोल लिंकेज के लंबित प्रकरणों पर अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। भविष्य के लिए कोयला आवंटन हेतु आयरन एवं स्टील उद्योग को "कोर इंडस्ट्री" का दर्जा प्रदान करने की वर्तमान नीति जारी रहनी चाहिए और यदि कोल इंडिया दीर्घकालीन लिंकेज प्रदान करने की स्थिति में हो, तो उसे ऐसा करना चाहिए। जहां कहीं कोल इंडिया लिमिटेड को उत्पादन में दिक्कत हो, वहां राज्य शासन के उपक्रमों को, स्थानीय स्टील एवं स्पांज आयरन इकाइयों को कोयला प्रदाय करने हेतु कोल ब्लाक्स आवंटित किये जाने चाहिए।

खनिज संसाधनों का विकास :

42. भारत सरकार के समक्ष कैप्टिव माइंस के लिए कोयला क्षेत्रों के आवंटन की नई नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। कोयला छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख संसाधन है तथा इसे स्थानीय इकाइयों को प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी नई कोयला नीति में स्थानीय इकाइयों की कोयले की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और उसमें कोयला उत्पादक राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति के उपायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रस्तावित नई नीति का प्रारूप समस्त कोयला उत्पादक राज्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनसे चर्चा उपरांत अंतिम किया जाना चाहिए। नई नीति के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों की सहमति इसलिए भी आवश्यक है, कि कोयला खदानें, वनों के मध्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां पहुंचने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और वन तथा पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियों की प्रकिया में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका होती है।

43. खनिजों से जुड़ा दूसरा मसला, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह आयरन ओर तथा कोयले पर खनिज के वजन पर आधारित रायल्टी के स्थान पर मूल्य आधारित रायल्टी प्रणाली लागू किए जाने संबंध में है। वर्तमान स्थिति में आयरन ओर पर प्रति टन सिर्फ 15 से 21 रूपये रायल्टी मिलती है, जबकि इसके विपरीत मिट्टी, नदी की रेत तथा सड़क निर्माण में उपयोगी मिट्टी की रायल्टी 30 से 35 रूपये प्रति टन है। रायल्टी में परिवर्तन की आवश्यकता को योजना आयोग तथा वित्त आयोग ने भी मान्य किया है, यह परिवर्तन तत्काल लागू किया जाना चाहिए भले ही इसके लिए कानून में संशोधन करना पड़े।

सामाजिक क्षेत्र – अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास :

44. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 43.37 प्रतिशत है, जो कि देश में इनकी औसत जनसंख्या 24.4 प्रतिशत से बहुत अधिक है। आदिवासी जनसंख्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक विकास के संकेतक बताते है कि कुछ सुधारों के बावजूद, जनसंख्या के अन्य वर्गों तथा आदिवासी जनसंख्या के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।

45. राज्य के सघन वन क्षेत्रों में स्थित 425 वन ग्रामों में 1.27 लाख आदिवासी रहते हैं। इन सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना संभव नहीं हो पाया। हमने इन

वनग्रामों के विकास की विशिष्ट जरूरतों तथा आर्थिक उन्नयन के लिए एक परियोजना बना कर, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय को भेजी है।

46. हमारे राज्य में पांच अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जनजातियां, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरबा हैं। जिनकी कुल आबादी 1,12,593 है। इन जनजातियों के आर्थिक उन्नयन हेतु हमने अनेक योजनाएं संचालित की हैं तथा अब 'भारत निर्माण' एवं 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत इन सभी को आवास उपलब्ध कराना चाहते है।

47. मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय संतुलन से संबंधित विषयों के लिए लक्षित "बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड" (बी.आर.जी.एफ.) को स्थानीय क्षेत्रों के विकास की न्यूनतम आवश्यकताओं, भौतिक अधोसंरचना निर्माण तथा पिछड़पन उन्मूलन के लिए पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय असंतुलन :

48. भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 'राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम' में क्षेत्रीय असंतुलन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें कहा गया है – 'क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति चिंता के स्वर सिर्फ ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण ही नहीं, बल्कि आयोजना आबंटनों तथा केन्द्रीय सरकार की सहायता की विकृतियों के कारण भी उठे हैं। राज्य में जीने योग्य स्थितियों तथा आजीविका कमाने के अवसरों में सुधार के लिए बुनियादी अधोसंरचना का विकास अनिवार्य शर्त है। छत्तीसगढ़ राज्य सिंचाई क्षमता के विकास, सड़क संपर्क, बिजली, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। बीआरजीएफ हमारी इन जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है।

49. 38 प्रतिशत लोगों के गरीबी रेखा के नीचे होने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है। वर्तमान में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत मात्र 8 जिलों को शामिल किया गया है। कोरिया एवं कोरबा जिले अत्यधिक पिछड़े एवं नक्सलवाद प्रभावित होने के कारण राष्ट्रीय समविकास योजना में शामिल होने की पूरी पात्रता रखते हैं, अतः इन जिलों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी :

50. छत्तीसगढ़ शासन बेहतर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु संकल्पबद्ध है। एक ओर जहां 'छत्तीसगढ़ ऑन लाइन इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर सिटीजन इमपावरमेंट' (चॉइस) के द्वारा नगरीय आबादी को ऑन लाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं, 'ई–ग्राम सुराज' तथा 'ई–पंचायत' जैसी सेवाएं विकासखंड स्तर तक ग्राम आबादी को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान कर रही है। भुइंया परियोजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण भू–स्वामियों को स्वचालित भू–अभिलेख प्रणाली के साथ ही, अपनी जमीनों के बी–वन तथा खसरे की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां हासिल करने की सुविध मिल रही है।

51 इलेक्ट्रानिक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक 4500 शासकीय कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया है। महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए, देश का पहला 'ई–क्लास रूम' छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई.आई.टी. कानपुर के साथ छत्तीसगढ़ के प्रौद्योगिकी संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित किया गया है। इस श्रृंखला की निचली कड़ी के रूप में स्कूल स्तर तक बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा का लाभ देने हेतु 60 सीटों वाले अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं।

52. छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए "ई–समर्थ योजना" के तहत आकर्षक पैकेज उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट, प्रदूषण प्रमाण पत्र में छूट जैसे प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत किए गए हैं।

पंचायत राज संस्थाएं :

53. संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायतों को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न करा दिए हैं। राज्य में 'ई–पंचायत' योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य मुख्यालय से सभी 146 जनपद पंचायतों और 16 जिला पंचायतों को 'वी–सेट' एवं कम्प्यूटर्स के माध्यम से जोड़ दिया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। राज्य वित्त आयोग, पंचायत राज संस्थाओं के कर तथा गैर कर संसाधनों के बारे में

राज्य वित्त आयोग निर्णय लेगा। पंचायत अधिनियम में संशोधन कर ग्रामसभा प्रणाली को ज्यादा कारगर बनाया गया है। पंचायत राज संस्थाओं की गतिविधियों का मानचित्र बनाने का कार्य अगस्त 2005 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

'भारत निर्माण' के अंतर्गत सड़क निर्माण :

54. 'भारत निर्माण' के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा संगठन बनाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वस्तुतः हम वर्ष 2009 तक 500 आबादी वाले ज्यादा से ज्यादा गांवों तथा बसाहटों को इस योजना में लाना चाहेंगे, यद्यपि आदिवासी क्षेत्रों में गांवों तथा बसाहटों की आबादी एक हजार से कम है। परियोजना क्रियान्वयन के लिए परिवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान करना होता है, जिसके लिए वर्तमान में राज्य सरकार को इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे राज्य में जहां का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित हो तथा पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में ज्यादातर आबादी आदिवासी हो, उसके लिए परिवर्तित भूमि वर्तमान मूल्य पर भुगतान का इंतजाम करना एक वृहद अतिरिक्त भार होगा। अतएव इस लागत को "परियोजना लागत" में शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम :

55. 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के प्रभावी कियान्वयन हेतु सरल बनाया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, देय बेरोजगारी भत्ते की गणना, जटिल फार्मूले से होती है।यह उचित होगा कि इसका निर्धारण वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित रकम (400–500 रूपए प्रतिमाह) हो, बनिस्बत इसके कि बेरोजगारी के दौरान पात्रता तथा मजदूरी की दरें परिवर्तनशील हों। हम यह भी चाहेंगे कि बेरोजगारी भत्ते का भार भारत सरकार भी वहन करे। छत्तीसगढ़ सरकार यह भी अनुरोध करती है कि यह योजना राज्य के सभी 16 जिलों में लागू हो, क्योंकि सभी जिलों में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति की आबादी अत्यधिक है।

विशेषः विचारणीय मुद्दे :

नक्सल समस्या

56. आमदनी तथा अधोसंरचना की दृष्टि से राज्य के सर्वाधिक पिछड़े सघन वन क्षेत्रों में स्थित 7 जिलों में नक्सलवादी समूहों द्वारा अपनी विचारधारा का प्रचार हिंसक और

खतरनाक तरीकों से किया जा रहा है। नक्सलवादियों ने आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा पं. बंगाल सहित छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। देश की एकता और अखण्डता के लिए नक्सलवादी समस्या से कारगर ढंग से निपटने की आवश्यकता है। अब यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं रही, अतः भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूढंना होगा। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, संचार, बुनियादी अधोसंरचना के अलावा सामाजिक, आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। साथ ही समस्या के प्रमुख पहलुओं से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति भी जरूरी है।

वन संबंधी मुद्दे

57. छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है, जो कि राष्ट्रीय औसत एवं राष्ट्रीय लक्ष्य दोनों से अधिक है। जहां एक ओर वनों से राज्य को नगण्य आय प्राप्त होती है, दूसरी ओर वनों के संधारण व्यय के लिए राज्य शासन के बजट पर अत्यधिक भार पड़ता है। राज्य के वन क्षेत्रों का लाभ देश के अन्य हिस्सो को भी मिलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सहित ऐसे अन्य राज्यों को वनो के संधारण पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। वित्त आयोग द्वारा भी इस मांग पर विचार किया गया था, लेकिन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय से बहुत कम है। इस प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

58. वन संबंधी एक अन्य मुद्दा राज्य पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार से संबंधित हैं, जो वन ग्रामों में जन कल्याणकारी एवं सार्वजनिक कार्यो जैसे सड़कें, अस्पताल, शाला भवन, बिजली की लाइनें आदि के लिए वन भूमि के डायवर्सन के लिए राज्यों को एन.पी.वी. तथा पूरक वनीकरण के लिए वहन करना पड़ता है। केन्द्र शासन को, यदि आवश्यक हो तो प्रचलित कानूनों में संशोधन करते हुए, इसका रास्ता निकालना चाहिए ताकि जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए वन भूमि परिवर्तित करने पर एन. पी.वी. एवं पूरक वनीकरण के लिए राज्य सरकारों को अपने बजट से अतिरिक्त भुगतान न करना पड़े।

विशेष राज्य का दर्जा

59. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय से ही इसे विशेष राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ विशेष राज्य का दर्जा पाने की समस्त अर्हताएं

पूर्ण करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करें।

वित्त मंत्रालय स्वीकृत राशि की प्राप्ति

60. योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ को राज्य योजना आयोग के गठन का सुझाव दिया ताकि परियोजनाएं बनाने, योजनाओं की तैयारी, देखरेख, मूल्यांकन, मध्यावधि समीक्षा जैसे कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकें। इस सुझाव के अनुरूप हमने राज्य योजना आयोग के गठन का निर्णय लिया। हमने योजना आयोग से 7.52 करोड़ रूपए की स्वीकृति, राज्य योजना आयोग भवन के निर्माण हेतु प्राप्त की। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक हमें यह राशि जारी नहीं की गई है, जो तत्काल जारी की जानी चाहिए।

राजधानी निर्माण हेतु विशेष सहायता

61. छत्तीसगढ़ नया राज्य है, जिसकी राजधानी विकसित होनी है तथा उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया जाना है। हमारा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन परियोजनाओं के लिए समुचित आर्थिक सहायता दी जाए।

धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत